

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग
क्रमांक :— प. 18(1)साप्र/2/11 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 23.9.2011

—: आदेश :—

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी पंचम श्रेणी की वरियता/पात्रतानुसार उनके नाम के सन्मुख अंकित राजकीय आवास नियमानुसार किराये पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है :—

क्र.सं.	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृति तिथि	वरियता संख्या
1	श्री राम कृष्ण मीणा कनिष्ठ लिपिक विभागीय जॉच विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	5/51 गौधीनगर	30.6.2050	83/10
2	श्री रामनरेश शर्मा कनिष्ठ लिपिक नगर उपखण्ड—vii (दक्षिण) दुर्गापुरा जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर	5/74 गौधीनगर	31.1.2041	63/05
3	श्री बलराम कनिष्ठ लिपिक मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर	5/103 गौधीनगर	30.6.2040	67/05
4	श्री राकेश कुमार मीणा कनिष्ठ लिपिक नगर उपखण्ड (उत्तर) पानीपेंच, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर	5/114 गौधीनगर	30.9.2046	71/05
5	श्री हितेश कुमार सोनी कनिष्ठ लिपिक उर्जा विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	5/112 गौधीनगर	31.10.2046	84/10
6	श्री प्रमोद कुमार जैमन कनिष्ठ लिपिक जिला ग्रामीण उपखण्ड प्रथम सांगानेर, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर	5/122 गौधीनगर	31.5.2033	72/05
7	श्री उमेश कुमार शर्मा कनिष्ठ लिपिक कार्यालय उप निदेशक प्रांतीक्षिकी कार्यालय बनीपार्क, जयपुर	5/142 गौधीनगर	31.8.2026	74/05

शर्तें :—

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने / करने की रिथ्ति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. छूटके उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ा)ए के अनुसरण में आदेश प्ररारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल रिथ्ति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।

7 सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।

8 आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-

1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवासय के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/कर्य नहीं किया है।

10. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

आज्ञा से,

(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निर्मांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक सम्पदा विभाग, जयपुर।
3. उप निदेशक, प्राठौ शिक्षा क्षेत्रिय कार्यालय, बनीपार्क, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (कृषि), कृषि विभाग, जयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
6. सहायक अभियन्ता, नगर उपखण्ड-VII (दक्षिण) दुर्गपुरा जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर।
7. उप शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. सहायक अभियन्ता, नगर उपखण्ड (उत्तर) पानीपेच, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर।
9. सहायक अभियन्ता, जिला ग्रामीण उपखण्ड प्रथम सांगानेर, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर।
10. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर।
11. निदेशक, पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर।
12. प्रभारी कनिष्ठ विशेषज्ञ, राजकीय चिकित्सालय, आदर्श नगर, जयपुर।
13. मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. कोषाधिकारी, जयपुर शहर जयपुर।
15. प्रबन्ध निदेशक, राजकौम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
16. अनुभागाधिकारी, कार्मिक (ग) विभाग, जयपुर को नियमानुसार किराया कटौती हेतु।
17. अधिशासी अभियन्ता, साठनिंविठ/जन स्वाठ अभिविठ विठिविठिनिगम लिंग, गॉधीनगर, जयपुर।
18. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गॉधीनगर, जयपुर।
19. सम्बन्धित कर्मचारीण।
20. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
21. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव